न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(पी०सी० बेरवाल, आई०ए०एस०,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
नामान्तरण अपील: 31 / 2016
दायर दिनांक: 20.09.2016
निर्णय दिनांक 25.07.2017

—:अनवान:—

श्री पेमाराम पिता श्री टीलाराम बलाई आयु 68 वर्ष निवासी कुण्डाल की गुआर भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

श्रीमान तहसीलदार, भीम जिला राजसमन्द

———रैस्पोंडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1673, स्वीकृत दिनांक 28.06.1986 पारित द्वारा तहसीलदार, भीम से व्यथित होकर

उपस्थित:—
1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रैस्पोंडेन्ट

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम तहसील भीम मे स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 3725 रकबा 00.05 बीघा भूमि जो कि अपीलांट के पिता को दिनांक 18.01.1982 को आवंटित होकर उसके नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित भूमि को नामान्तरण संख्या 1673 आदेश दिनांक 28.06.1986 से बिलानाम कर दिये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि में शुमार करवाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेण्ट को तलब किया गया। रैस्पोंडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी और दिनांक 04.10.16 को उक्त अपील का जवाब पेश कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज योग्य होना अंकित किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र, के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि ग्राम भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द में स्थित वर्तमान आराजी नम्बर 3725 रकबा 00.05 बीघा भूमि स्थित है जो अपीलांट के पिता टीलाराम को दिनांक 18.01.1982 को आवंटित हुई थी, जिसका विधिवत नामान्तरण राजस्व रेकार्ड में नामान्तरण संख्या 1420 दिनांक 26.02.1985 से तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी के पिता के नाम पर किया गया था। अपीलार्थी की उक्त भूमि को तहसीलदार, भीम द्वारा अपीलार्थी को सुने बगैर दिनांक 28.06.1986 को पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश विधि के विपरित होकर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के भी विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया नामान्तरण आदेश मनमकसूद तरीके होकर क्षैत्राधिकार से परे है। उक्त

नामान्तरकरण निरस्त करने का आदेश कैफियत के कॉलम नम्बर 14 में तहसीलदार भीम के आदेश का उल्लेख करते हुए हल्का पटवारी द्वारा भरा गया। और इस नामान्तरण को तहसीलदार भीम द्वारा ही फैसल कर दिया गया। अर्थात् वही व्यक्ति प्रार्थी और वही व्यक्ति न्यायाधीश है। जबकि कानूनन सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि प्रार्थी स्वयं अपने मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता । उक्त मामले में आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी अपीलांट के पिता को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1673 दिनांक 28.06.1986 को अपास्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया कि ग्राम भीम के खसरा नं0 3725 कुल रकबा 07 बीघा 17 बिश्वा किस्म मगरी मे से 05 बिश्वा भूमि तहसीलदार भीम ने टीलाराम पिता मोटाराम मेघवाल निवासी भीम को दिनांक 18.01.1982 को बाडा हेतु आवंटन किया गया। जिसका तहसीलदार भीम के आदेश क्रमांक:-राजस्व/42/82 प्रा. प. दिनांक 18.01.1982 से आदेश जारी हुए जिसका अमल ना.क.सं. 1420 दिनांक 26.02.1985 से राजस्व रिकार्ड मे अमल हुआ लेकिन ग्राम भीम की आराजी नम्बर 3725 रकबा 07 बीघा 17 बिश्वा कुलिया भूमि उपखण्ड अधिकारी, भीम के न्यायालय के प्रकरण संख्या 07/82 रे.वा. निर्णय दिनांक 26.02.1985 के द्वारा वादीगण रामसिंह, हजारीसिंह वगैराह के खातेदारी हक स्वीकार होने से इस भूमि में बिलानाम भूमि नहीं है। ग्राम कुण्डाल की गुआर नवीन ग्राम खाता संख्या 554 आराजी नम्बर 16484/3725 रकबा 07.07 बीघा बंजड खातेदार रामसिंह पिता दूदासिंह वगैरह के नाम पर व खाता संख्या 555 में आराजी नम्बर 3725 रकबा 00.10 बीघा किस्म गैर मुमकीन खातेदार रामसिंह पिता दूदा वगैरह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जो प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है। अपीलांट का कोई हक व हकूक नहीं बनता है। अतः अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गयी। बहस पर गहन मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस के दौरान यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित नामान्तरण फैसल करने के पूर्व अपीलांट की सुनवायी नही की गयी। किन्तु इस न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्ण रूप से सुना गया। बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी भीम के द्वारा प्रकरण संख्या 7/82 मे पारित निर्णय दिनांक 26.02.1985 से ग्राम भीम तहसील भीम के आराजी नम्बर 3725 रकबा 07 बीघा 17 बिश्वा भूमि वादीगण रामसिंह, हजारीसिंह वगैराह के खातेदारी हक स्वीकृत किया गया और उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार भीम के द्वारा नामान्तरण संख्या 1673 दिनांक 28.06.1986 को स्वीकृत किया गया जो कि विधि अनुसार है। अतः अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार, भीम द्वारा राजस्व ग्राम भीम का नामान्तरकरण संख्या 1673 फैसल दिनांक 28.06.1986 विधि सम्मत होने से बहाल रखा जाता है।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 25.07.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द